

कार्यालय नगर निगम, अजमेर

क्रमांक : ७२११/११

दिनांक : ३०/३/२०१२

कार्यालय आदेश

दिनांक २४.०३.२०१२ को समीक्षात्मक बैठक में श्रीमान् मुख्य सूचना आयुक्त राजस्थान सरकार द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि सभी सूचनाएं सम्बन्धित विभाग के लोक सूचना अधिकारी के हस्ताक्षरों से आवेदकों को भेजी जानी चाहिये। सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ के अर्न्तगत जारी गृह (गुप-६) विभाग के कार्यालय आदेश प.३(२५)गृह-६/२००६ दिनांक ०३.०५.०७ में दिये गये निर्देश के अनुसार परिशिष्ट - ३ के अनुसार नगर निगम में मुख्य कार्यकारी अधिकारी राज्य लोक सूचना अधिकारी होंगे तथा प्रत्येक लोक सूचना अधिकारी अति अन्य अधिकारी को भी लोक सूचना अधिकारी नियुक्त कर सकेगा।

अतः इन निर्देशों की पालना में आयुक्त (प्रशासन) एवं आयुक्त (विकास) को अपने-अपने सम्बन्धित विभागों का लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

sdl
लोक सूचना अधिकारी एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नगर निगम अजमेर